फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लालू बनाम विपक्षी : श्री लोगर व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 79/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में पीथा पुत्र चेना जाति रावत सा.देह. के नाम दर्ज है। यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी एक ही परिवार के है जिसमें मूल पुरूष रूपाजी है जिनके दो पुत्र चेना एवं हिरा हुये। चेना के एक पुत्र मेघा हुआ जो लाऔलाद फौत हो गया। हिरा के तीन पुत्र पीथा, रूपा, बाबरू हुये। पीथा के विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 4 है। रूपा के विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 5 से 8 है। बाबरू के विधिक वारिसान प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 9 से 14 है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पूर्व में बिलानाम काबिज काश्त थी, जिस पर प्रार्थी के परिवार के मूल पुरूष रूपाजी के दोनों पुत्र चेना एवं हिरा ने अनाधिकार आधिपत्य कर लिया एवं इस कृषि भूमि पर काफी अर्थ एवं श्रम खर्च कर उपजाऊ बनाया। रूपाजी के दोनों पुत्र चेना एवं हिरा शामिल शरीफ ही रहते थे और उपरोक्त कृषि भूमि पर काश्त का कार्य करते थे। यह कि इस दोरान रूपाजी के पुत्र चेना की मृत्यु हो गई एवं चेना के एक मात्र पुत्र मेघा की भी निःसंतान मृत्यु हो गई, जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि पर चेना का भाई हिरा ही अकेला काश्त करने लग गया एवं इस दोरान हिरा की भी मृत्यु हो गई, जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि पर हिरा के तीन पुत्र पीथा, रूपा एवं बाबरू काबिज होकर काश्त करने लग गये। यह कि हिरा का सबसे बडा पुत्र पीथा था, जिससे हिरा की मृत्यु के पश्चात पीथा ही परिवार का कर्ता था एवं वादग्रस्त इस कृषि भूमि पर सन् 1967 से पहले कई वर्षो पूर्व से प्रार्थी के पूर्वजों का आधिपत्य निरन्तर निराबाध रूप से चला आ रहा था तथा जिस समय इस भूमि का रेग्यूलराईजेशन हुआ, उस समय वादग्रस्त पूरी कृषि भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता पीथा ने राजस्व कर्मचारियों से मिल कर पीथा पिता चेना के नाम का नाजायज कब्जा दर्शा कर इस पूरी वादग्रस्त कृषि भूमि को पीथा पिता चेना के नाम से रेग्यूलाईजशन करा दी, जिससे राजस्व रेकर्ड में यह कृषि भूमि सन् 1967 से ही पीथा पिता चेना रावत के नाम पर राजस्व अभिलेखों

सहायक कलक्टर
भीण्डर

में अंकित चली आ रही है। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर हिरा के फौत होने पश्चात हीरा के तीनों पुत्र पीथा, रूपा एवं बाबरू हिस्से बराबर से संयुक्त काबिज हुए थे उवं उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि हीरा के तीनों पुत्र पीथा, रूपा बाबरू के नाम पर संयुक्त रूप से हिस्से बराबर से रेग्यूलाईज होनी चाहिए थी, पीथा ने छल, कपट करते हुए राजस्व अभिलेख में पीथा को अच्छी तरह से पता था वह हिरा का पुत्र है एवं चेना का पुत्र नहीं है, फिर भी पीथा ने बदनीयती से अंकन करवाया। यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि हिरा के फौत होने के बाद से वारिस के रूप में बाबरू का 1/3 हिस्से अनुसार निरन्तर निराबाध रूप से काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा था एवं तीनों ही भाई अपने अपने हिस्से काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे।

यहकि विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/पति पीथा ने राजस्व कर्मचारियों मिलकर वादग्रस्त कृषि भूमि को हडपने की नीयत से राजस्व अभिलेख में पीथा पिता चेना के नाम का जो गलत अंकन करवाया, उसके आधार पर पीथा वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 9 से 14 के पिता बाबरू के हक, अधिकारों को चुनौती देने लगा एवं बाबरू के हिस्से की कृषि भूमि में जबरन दखलअंदाजी करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा हुआ जिस पर बाबरू ने वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं निषेधाज्ञा के लिए उनके जीवनकाल में वाद संख्या 87/2007 पेश किया गया, जो वाद संख्या 60/2021 के साथ संलग्न किया हुआ होकर विचाराधीन है एवं बाबरू द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 85/2007 में विपक्षी संख्या 5 से 8 के पिता रूपा की और से सहमति का जवाबदावा भी प्रस्तुत किया हुआ है तथा वाद संख्या 60/2021 में भी रूपा एवं बाबरू ने एक ही वादपत्र पेश कर रखा है। यह कि दिनांक 10.08.2023 को प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की देखरेख करने के लिए मौके पर आया हुआ था उस समय विपक्षी संख्या 1 से 8 एक राय होकर मौके पर आये तथा प्रार्थी को बहुत डराया–धमकाया और प्रार्थी को कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि को भूल कर छोड दें, नहीं तो जिस तरह से विपक्षी संख्या 9 को मारा है उसी तरह से प्रार्थी को भी मारेंगे जिस पर प्रार्थी ने ऐसा करने से मना करते हुए कार्यवाही की बात कही, प्रार्थी को मजबूरन अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाध्य होना पडा। अतः विपक्षी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ से स्वीकारात्मक जवाब अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा द्वारा पेश किया गया। विपक्षी संख्या 8 व 15 का जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 4 की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/पति की स्वअर्जित खातेदारी कृषि

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
भीण्डर

12/12/13

काश्त की है। पीथा उर्फ पीता पुत्र हिरा के विपक्षी संख्या 1 से 4 वारिसान है। यह स्वीकार है कि हिरा के फौत होने के पश्चात हिरा के नाम की भूमि पीथा, रूपा एवं बाबरू के नाम दर्ज हुई। प्रार्थनाग्रस्त भूमि जवाब प्रस्तुत कर्ता के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी की है। साथ ही बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षीगण के पिता/पति की स्वअर्जित है। राजकीय भूमि पर पीथा पिता हीरा का नाजायज कब्जा था जो राजस्व कर्मचारियों ने नाम पूछा तो कहा कि पीता तो कहा कि तुम्हारे पिता का नाम नहीं पूछ रहे है तुम्हारा क्या नाम है फिर पीथा तो कहा कि दाजी का क्या नाम है कहा कि चेना जिस पर पीथा पिता हीरा के बजाय पीथा पिता चेना दर्ज हो गया जबकि यह भूमि न तो चेना की थी न चेना के वारिसान की रही। यह भूमि राजकीय बिलानाम भूमि थी और हम विपक्षीगण एक से चार के पिता/पति के स्वतंत्र कब्जे खाते में दर्ज हुई। पीथा पिता हिरा के बजाय लिपिकिय त्रुटि पीथा उर्फ पीता पुत्र चेना दर्ज हो गया तो प्रार्थी पक्ष एवं इनके मददगारों ने एक फौजदारी मुकदमा थाना भीण्डर में दर्ज करवाया कि हमारी भूमि गलत वल्दियत से पीथा ने अपने नाम करा ली जिसमें चालान माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भीण्डर में पेश हुआ और ट्रायल के बाद अभियुक्त पीथा पिता चेना/पीथा पिता हीरा को दोष मुक्त पाया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में पीथा पिता चेना के नाम दर्ज रेकर्ड है जो विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता/पति है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन कहा है कि प्रार्थी एवं विपक्षी एक ही परिवार के है जिसे विपक्षी द्वारा भी अपने जवाब में यह कथन कहा है कि हीरा के फौत होने के बाद हीरा के नाम ही भूमि पीथा, रूपा व बाबरू के नाम दर्ज हुई जिससे यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विपक्षी एक ही परिवार के है तथा इनके पिता/पति आपस में भाई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को मूल पुरूष रूपा के समय से चली आना बताया है। जबकि विपक्षी द्वारा अपने जवाब में प्रार्थनाग्रस्त भूमि को स्वअर्जित सम्पति बताया है। उक्त कथन को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर ही तय किया जा सकता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

सहायक कलक्टर
भीण्डर

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्व
अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सगतपुरा पटवार हल्का
तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की
नया 57 आराजी सं. 835, 853, 854 किता 3 रकबा 3.7300 है. भूमि में
वाद के निस्तारण होने तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।
शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर